No. 2019/HQ/Admin/RTI-104 New Delhi: 12.02.2019

Sh. Ravinder
S/o Sh. Chanderpal
E-15, Aali Vihar,
Sarita Vihar
New Delhi-110076
Mobile-8285883625

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: RTI Application dated 21.01.19 received in this office on 24.01.19.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

DA: 1 sheet

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3rd floor,
Shree Balaji Complex,
Plot no C-2, pocket-B,
SEC-1 Ved Yavas Puri,
Meerut -250002

For information and record only.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

पत्रांकः एमटीसी/ईएन/आर0टी0आई0/भाग–5

दिनांकः 08.02.2019

डिप्टी जी0एम0/एडमीन (पी0आई0ओ0)
कॉरपोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल
प्रगति मैदान नई दिल्ली।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

सन्दर्भः Dy.GM/Admin(PIO) letter no. 2019/HQ/Admin/RTI-104 dated 25.01.2019.

उपरोक्त विषयक आवेदनकर्ता श्री रविन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी E-15 Aali Vihar, Sarita Vihar, New Delhi-110076 के द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा ग्राम पलौता जिला गाजियाबाद में डीएफसीसीआईएल परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि से सम्बन्धित सूचना चाही गयी है। वांचित सूचना निम्नानुसार है।

1. यह कि प्रस्तर–1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदनकर्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम पलौता में डीएफसीसीआईएल परियोजना हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमि से गाँव के समस्त प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिकर के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–8 की उपधारा (d, g & j) व धारा–11 के अर्न्तगत तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है।
2. यह कि प्रस्तर–2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डीएफसीसीआईएल परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के किसी सदस्यो को नौकरी दिये जाने का कोई प्राविधान नही है।
3. यह कि प्रस्तर–3 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–8 की उपधारा (d, g & j) व धारा–11 के अर्न्तगत तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है।
4. यह कि प्रस्तर–4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम पलौता में जो भी रास्ते, चक रोड़ या नाली आदि डीएफसीसीआईएल परियोजना से प्रभावित है और राजस्व अभिलेखों में रास्ते, चक रोड़ या नाली आदि के रूप में दर्ज है उनकी वैकल्पिक व्यवस्था आर.यू.बी/पुलिया द्वारा तथा मार्ग व नाली को घुमाकर (Divert) किया गया है।
5. यह कि प्रस्तर–5 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–8 की उपधारा (d, g & j) व धारा–11 के अर्न्तगत तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है।
6. यह कि प्रस्तर–6 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में भारतीय रेल के लिये कन्टेनर डिपो बनाये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नही है।
7. यह कि प्रस्तर–7 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–8 की उपधारा (d, g & j) व धारा–11 के अर्न्तगत तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है।
8. यह कि प्रस्तर–8 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–8 की उपधारा (d, g & j) व धारा–11 के अर्न्तगत तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है।

उप. जनसूचना अधिकारी
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
मेरठ।